न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी बज्जू

पीठासीन अधिकारी:– सांवरमल रैगर आर.ए.एस.

दावा पत्र संख्या:– 43/2025

सताराम पुत्र राजूराम जाति नाई साकिन 19 सीडब्लूबी चारणवाला तह. बज्जू जिला बीकानेर

..................वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू. अ. बज्जू

...........प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित अभिभाषक:

1. श्री जालम सिंह पंवार वकील प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज राज्य की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 30.12.25

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत खाता दुरुस्ती हेतु वादी सताराम पुत्र राजूराम जाति नाई साकिन 19 सीडब्लूबी चारणवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर द्वारा पेश किया। प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि नाम से पटवार हल्का चारणवाला के चक 19 सीडब्लूबी में मुरबा नं 207/1 में किला नं 15 ता 20 में 5.17 बीघा कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि स्थित है, जिसमें वादी का नाम सन्तूराम पुत्र राजूराम नाम दर्ज रिकॉर्ड है और चला आ रहा है, जबकि वादी का वर्तमान कागजात में व बच्चों के कागजात में नाम सताराम पुत्र राजूराम अंकित है तथा इन दोनों नाम का एक ही व्यक्ति है। वर्तमान में समस्त कागजात ऑनलाईन होने के कारण वादी को अनेक प्रकार सरकारी कृषि योजनाओं के लाभ लेने के लिए, भूमि व अन्य कागजात में नाम में अन्तर होने के कारण सभी प्रकार की योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। वादी ने अथक मेहनत कर हजारों रूपया खर्च कर आराजी मुतनाजा को सुधारा है तथा काबिल काश्त बनाया है, काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है तथा मौके पर वादी का ढाणी व कुण्ड आदि बना हुआ है। वादी का नाम अन्य समस्त कागजात में नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा बच्चों के समस्त कागजात में नाम सताराम पुत्र राजूराम दर्ज है जो उक्त भूमि में नाम सही करवाने के लिए ताईद में आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड की प्रति संलग्न है। अतः चक 19 सीडब्लूबी में मुरबा नं 207/1 में किला नं 15 ता 20 में 5.17 बीघा कमाण्ड व अनकमाण्ड भूमि में वादी का नाम सन्तूराम के स्थान पर सताराम पुत्र राजूराम करवाना चाहता है।

सर्वप्रथम दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकाराज ने अपने जवाब में दुरूस्ती पर कोई आपत्ति नहीं की व अपनी तरफ से सहमति प्रदान की गई। वादी द्वारा बतौर साक्ष्य/सबूत के रूप में ग्राम पंचायत चारणवाला के संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड की छाया प्रतिया प्रस्तुत की, जिसमें वादी का का नाम सताराम पुत्र राजूराम अंकित है।

अतः विद्वान अधिवक्ता की बहस प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों, दस्तावेजों, पैरोकाराज के जवाब के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम सन्तूराम पुत्र राजूराम जाति नाई के स्थान पर सताराम पुत्र राजूराम जाति नाई किये जाने का संशोधन किया जाता है एवं तहसीलदार राजस्व बज्जू को निर्णय की प्रति भेज कर निर्देशित किया जाता है कि संशोधन अनुसार राजस्व अभिलेख में नाम की शुद्धि कर पालना से न्यायालय को अवगत करवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सांवरमल रैगर)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बज्जू

क्रमांक :–

दिनांक :–

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व बज्जू को पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी